



DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY  
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
GOVERNMENT OF INDIA  
**National Safety Awards (Mines), 2015**

In recognition of good safety performance in the mines covered under the Mines Act, 1952 Government of India, the Ministry of Labour and Employment have instituted National Safety Awards(Mines). These prestigious awards in the field of accident prevention in Coal, Metalliferous and Oil mines are being presented to the mines every year since 1984 in two categories-

- i) Longest Accident Free Period and
- ii) Lowest Injury Frequency Rate.

Applications in the prescribed Form are hereby invited from all Owner/Agent/ Manager of mines coming under the purview of Mines Act, 1952, for these awards for the **contest year 2015**.

The Form may be obtained by post by sending a self-addressed envelope affixed with postal stamp of Rs. fifty only to the Member-Secretary, NSA Committee and Director (STAT), DGMS, Dhanbad – 826001 (Jharkhand). The Form may also be had from any of the DGMS offices and can also be down loaded from DGMS website, [www.dgms.gov.in](http://www.dgms.gov.in)

Filled-in applications along with crossed Indian Postal Order (s) / Demand Draft of Rs.100.00 drawn in favour of Administrative Officer / Drawing & Disbursing Officer, DGMS(HQ) and payable at Dhanbad Post Office should reach to Member Secretary, NSA (Mines) Committee & Director (STAT), DGMS, Dhanbad–826001(Jharkhand), latest by **30<sup>th</sup> September, 2016**. Delay in postal service will not be entertained.

Please visit DGMS website , [www.dgms.gov.in](http://www.dgms.gov.in) for details.

**Director General of Mines Safety & Chairman,  
National Safety Awards (Mines) Committee**



खान सुरक्षा महानिदेशालय  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
भारत सरकार  
**राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान), 2015**

खान अधिनियम 1952 के अन्तर्गत खानों में बेहतर सुरक्षा निष्पादन की पहचान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) की शुरुआत की है। ये सम्मानजनक पुरस्कार दुर्घटना रोकथाम के क्षेत्र में कोयला, धातु एवं तेल खानों को 1984 के अधिनियम के अन्तर्गत श्रेणियों में प्रदान किया जा रहा है।

1. दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि दर एवं
2. निम्नतम चोट आवृत्ति दर

खान अधिनियम 1952 की परिसीमा के अन्तर्गत आनेवाले खानों के प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता 2015 के लिए इस पुरस्कार हेतु सभी खानों के मालिक/अभिकर्ता/प्रबंधक को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रपत्र डाक द्वारा स्वपतालिखित लिफाफे पर 50 रुपये का डाक टिकट साटकर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार(खान) निदेशक(साँ), खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद - 826001 के नाम भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र किसी भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है तथा इसके वेबसाइट [www.dgms.gov.in](http://www.dgms.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ 100/- का रेखांकित भारतीय धनादेश / बैंक डीमांड ड्रॉफ्ट प्रशासनिक अधिकारी / आदान एवं संवितरण अधिकारी के पक्ष में धनबाद पोस्ट आफिस में देय होगा 30.09.2016 के पहले सदस्य सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) निदेशक (साँ), खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद - 826001 के पास पेश जाना चाहिए। डाक सेवा के विलंब पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी हेतु देखें वेबसाइट, [www.dgms.gov.in](http://www.dgms.gov.in) & [www.dgmsindia.in](http://www.dgmsindia.in)

खान सुरक्षा महानिदेशक एवं  
अध्यक्ष,  
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार(खान) समिति